

वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2020-माघ 4, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Rajesh Verma S/o Nanakchand Verma, Resident of 21/6, Murai Mohalla gali Chawani, Indore, Madhya Pradesh declare that my name Rajesh Verma S/o Nanakchand Verma is incorrect. My correct name is Rajesh Sonkar S/o Nanakchand Sonkar. From now I will be known as Rajesh Sonkar S/o Nanakchand Sonkar for all future purposes.

Old Name :

(RAJESH VERMA)

S/o Nanakchand Verma.

(1000-B.)

New Name :

(RAJESH SONKAR)

S/o Nanakchand Sonkar.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ईशा राय पुत्री श्री राजकुमार ताम्रकर था, अब मैंने अपना नाम बदलकर प्रीयलराज रख लिया है, जो कि मेरे शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में ऑक्टित है। अतः मुझे भविष्य में प्रीयलराज पुत्री श्री राजकुमार ताम्रकर के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(ईशा राय)

पुत्री श्री राजकुमार ताम्रकर।

(1001-बी.)

नया नाम :

(प्रीयलराज)

पुत्री श्री राजकुमार ताम्रकर,
निवासी-सी 3/32, विंडसर हिल्स,
सिरोल रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अरुण कुमार गुप्ता पिता शिवमंगल प्रसाद गुप्ता (ARUN KUMAR GUPTA S/O SHIV MANGAL PRASAD GUPTA), निवासी वार्ड नं. 6, अम्बेडकर वार्ड, जसवाडी रोड, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम

अरूण कुमार पिता शिव मंगल प्रसाद गुप्ता (ARUN KUMAR S/O SHIV MANGAL PRASAD GUPTA) था. अब मैंने मेरा नाम बदलकर अरूण कुमार गुप्ता पिता शिव मंगल प्रसाद गुप्ता (ARUN KUMAR GUPTA S/O SHIV MANGAL PRASAD GUPTA) कर लिया है. अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ अरूण कुमार पिता शिव मंगल प्रसाद गुप्ता दर्ज है. उसे अरूण कुमार गुप्ता पिता शिव मंगल प्रसाद गुप्ता पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे तथा मेरे पेनकार्ड पर मेरे पिता का नाम श्रुटिवश प्रकाश चंद गुप्ता दर्ज है, जबकि मेरे समस्त अन्य दस्तावेजों में उनका वास्तविक नाम शिवमंगल प्रसाद गुप्ता (SHIV MANGAL PRASAD GUPTA) ही दर्ज है.

पुराना नाम :

(अरूण कुमार)

पिता-शिवमंगल प्रसाद गुप्ता.

(1007-बी.)

नया नाम :

(अरूण कुमार गुप्ता)

पिता-शिवमंगल प्रसाद गुप्ता.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह के पूर्व का नाम कु. लक्ष्मी जसवानी पुत्री श्री बलवंतसिंह जसवानी है, सिंधी-सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम पाखी माखीजा पत्नी श्री हिमांशु माखीजा हुआ है, तदोपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ:

पुराना नाम :

(लक्ष्मी जसवानी)

पुत्री श्री बलवंतसिंह जसवानी.

(1002-बी.)

नया नाम :

(पाखी माखीजा)

पत्नी श्री हिमांशु माखीजा,

निवासी-मकान नं. 137, क्रिस्टल आईडियल सिटी,

अवधपुरी, हुजूर, भोपाल 462022.

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम माधुरी ठाकुर पुत्री श्री बिहारीलाल ठाकुर है तथा सिंधी-सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम ज्योति राजवानी पत्नी श्री प्रीतम उर्फ प्रीतमदास राजवानी हुआ है, तदोपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ:

पुराना नाम :

(माधुरी ठाकुर)

पुत्री-श्री बिहारीलाल ठाकुर.

(1003-बी.)

नया नाम :

(ज्योति राजवानी)

पत्नी-श्री प्रीतमदास राजवानी,

निवासी-184, वार्ड नं. 39, बजरहा टोला,

रघुराज नगर (आजाद चौक) सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मीना जैन पत्नी जगदीश प्रसाद गुप्ता था. जो कि मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 200116024 में दर्ज है. जबकि वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नीलू (NEELU) पत्नी जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी वार्ड नं. 15, किला रोड, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) रख लिया है. जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बोटरकार्ड आदि में दर्ज है. अतः इस सूचना प्रकाशन से मुझे मेरे नये नाम नीलू (NEELU) पत्नी जगदीश प्रसाद गुप्ता से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मीना जैन)

पत्नी-जगदीश प्रसाद गुप्ता.

(1004-बी.)

नया नाम :

(नीलू/NEELU)

पत्नी-जगदीश प्रसाद गुप्ता.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता ने एल.आई.सी. की एक पॉलिसी क्र. 200008921 ली थी. जिसमें मेरा नाम बाल किशन सिंघल अंकित है, चूंकि मैं बाल किशन सिंघल एवं बालकिशन अग्रवाल दोनों नाम से जाता हूँ तथा दोनों नाम मेरे ही नाम हैं.

चूंकि मेरा गैत्र सिंघल है तथा मैं अग्रवाल हूँ तथा मेरे आधारकार्ड 569525491370 एवं मेरे बैंक खाते में मेरा नाम बालकिशन अग्रवाल अंकित है। अतः भविष्य में मुझे बाल किशन सिंघल (BAL KISHAN SINGHAL) के स्थान पर बालकिशन अग्रवाल (BALKISHAN AGARWAL) के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा व समझा जावे।

पुराना नाम :
(बाल किशन सिंघल)
 पुत्र-श्री मवासीलाल अग्रवाल.
 (1005-बी.)

नया नाम :
(बालकिशन अग्रवाल)
 पुत्र-श्री मवासीलाल अग्रवाल,
 निवासी-बी-62, तानसेन नगर, हजीरा,
 ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Bablu Sitole Permanent Address ward 14, Bayadipura Pipliya Khurd West Nimar (Khargone) Madhya Pradesh 451225. I have changed my name from Bablu Sitole to Ajay Singh Sitole. vide affidavit that 27 February 2009 sworn before notary.

Old Name :
(BABLU SITOLE)
 (1006-B.)

New Name :
(AJAY SINGH SITOLE)
 S/o Shri Devisingh Sitole,
 R/o Ward 14, Bayadipura Pipliya Khurd,
 West Nimar (Khargone) M.P 451225.

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (SUMIT SHARMA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA), निवासी 13, कृष्ण विहार, वत्सला विहार के पास खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम सुमित कुमार टहनगुरिया पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (SUMEET KUMAR TAHANGURIYA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA) था। अब मैंने मेरा नाम बदलकर सुमित शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (SUMIT SHARMA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA) कर लिया है। अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ सुमित कुमार टहनगुरिया पिता सूर्यकांत टहनगुरिया दर्ज है। उसे सुमित शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(सुमित कुमार टहनगुरिया)
 पिता-सूर्यकांत टहनगुरिया.
 (1008-बी.)

नया नाम :
(सुमित शर्मा)
 पिता-सूर्यकांत टहनगुरिया.

नाम परिवर्तन

मैं, राज शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (RAJ SHARMA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA), निवासी 13, कृष्ण विहार, सिविल लाइंस नियर स्टेडियम, खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम राज टहनगुरिया पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (RAJ TAHANGURIYA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA) था। अब मैंने मेरा नाम बदलकर राज शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया (RAJ SHARMA S/o SURYAKANT TAHANGURIYA) कर लिया है। अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ राज टहनगुरिया पिता सूर्यकांत टहनगुरिया दर्ज है। उसे राज शर्मा पिता सूर्यकांत टहनगुरिया पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(राज टहनगुरिया)
 पिता-सूर्यकांत टहनगुरिया.
 (1009-बी.)

नया नाम :
(राज शर्मा)
 पिता-सूर्यकांत टहनगुरिया.

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मीकांत नागोरी पुत्र श्री मनोज नागोरी यह सूचित करता हूँ कि दीपावली के दिन जन्म लेने से मेरा नाम बचपन में

लक्ष्मीकांत नागोरी खा गया था, जबकि मेरा नाम सुदीप नागोरी है जो कि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी मार्कशीट्स में दर्ज है. लक्ष्मीकांत एवं सुदीप एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे सुदीप नागोरी के नाम से जाना व पहचाना जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(लक्ष्मीकांत नागोरी)

पुत्र-श्री मनोज नागोरी.

(1010-बी.)

नया नाम :

(सुदीप नागोरी)

पुत्र-श्री मनोज नागोरी,

पता-गोविन्द निवास, डीडवाना ओली,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मेरे आधारकार्ड में नाम देवेन्द्र कुमार सोनी पिता श्री रामलखन सोनी एवं मेरे पैनकार्ड में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार स्वर्णकार एवं बोटर कार्ड में देवेन्द्र कुमार नाम अंकित है. देवेन्द्र कुमार स्वर्णकार एवं देवेन्द्र कुमार एवं देवेन्द्र कुमार सोनी तीनों ही नाम मुझे शपथकर्ता एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य मुझे देवेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री रामलखन सोनी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र कुमार स्वर्णकार)

पिता-रामलखन सोनी.

(1011-बी.)

नया नाम :

(देवेन्द्र कुमार सोनी)

पिता-रामलखन सोनी,

निवासी-149, नजदीक मातन का पहरा,

तरन-तारन मार्ग, दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अमृता सिंह (AMRITA SINGH) पुत्री श्री गोपाल सिंह पुण्डर सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम भुमिजा पुण्डर है जो मेरी UTI MUTUAL FUND के शैयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लिखा गया है, जबकि मैं वर्तमान में अमृता सिंह (AMRITA SINGH) पुत्री श्री गोपाल सिंह पुण्डर के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम अमृता सिंह (AMRITA SINGH) पुत्री श्री गोपाल सिंह पुण्डर के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी UTI MUTUAL FUND के शैयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम भुमिजा पुण्डर (BHUMIJA PUNDHIR) के स्थान पर अमृता सिंह (AMRITA SINGH) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(भुमिजा पुण्डर)

(1012-बी.)

नया नाम :

(अमृता सिंह)

पुत्री-श्री गोपाल सिंह पुण्डर,

निवासी-ई-328, शान्ती नगर, साईन्स कॉलेज के सामने,

शिवपुरी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, होतम सिंह यादव पुत्र श्री भगवानदास यादव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम होतम सिंह था. जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम होतम सिंह अंकित हो गया है, जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम होतम सिंह यादव अंकित है एवं वर्तमान में मुझे होतम सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम होतम सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम होतम सिंह यादव अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(होतम सिंह)

(1013-बी.)

नया नाम :

(होतम सिंह यादव)

निवासी-विलेज हुरावली गिर्द,

ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, यूनिस खाँन पुत्र स्व. श्री रज्जन खान उर्फ रज्जू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी क्रमांक 201242936 में मेरा नाम गलती से ईनुश खाँन पुत्र स्व. श्री रज्जाक खाँन लिखा गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरे सभी प्रपत्र जैसे आधारकार्ड, बोटरकार्ड एवं बैंक खाते में मेरा एवं मेरे पिता का सही नाम यूनिस खाँन पुत्र श्री रज्जन खाँन उर्फ रज्जू लिखा गया है और वर्तमान में यूनिस खाँन पुत्र स्व. श्री रज्जन खाँन उर्फ रज्जू के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ. ईनुश खाँन

और यूनिस खाँन मेरे ही नाम हैं एवं मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी क्रमांक 201242936 में मेरा नाम ईनुश खाँन पुत्र स्व. श्री रज्जाक खाँन के स्थान पर सही नाम यूनिस खाँन पुत्र स्व. श्री रज्जन खाँन लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(**ईनुश खाँन**)

(1015-बी.)

नया नाम :

(**यूनिस खाँन**)

पता—देशराज स्कूल के पास, रैन, तहसील रैन, जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हाकिम सिंह कुशवाह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम हाकिम सिंह था। जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम हाकिम सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे हाकिम सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हाकिम सिंह एवं हाकिम सिंह कुशवाह मेरे ही नाम है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम हाकिम सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हाकिम सिंह के स्थान पर सही नाम हाकिम सिंह कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाए, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(**हाकिम सिंह**)

(1016-बी.)

नया नाम :

(**हाकिम सिंह कुशवाह**)

निवासी—अमेड़कर कॉलोनी, पिछोर तिराहा, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम मन्जू अग्रवाल पुत्री दिनेश चन्द्र था। जो कि विवाह के पूर्व के समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है जबकि विवाह के उपरान्त मेरा नाम नन्दिनी अग्रवाल हो गया है और यही नाम विवाह उपरान्त के समस्त दस्तावेजों में लिखा हुआ है। अतः भविष्य में मुझे नन्दिनी अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे और यही नाम मेरे विवाह पूर्व के दस्तावेजों में पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(**मन्जू अग्रवाल**)

पुत्री—दिनेश चन्द्र,

हजारी मोहल्ला, चतुर्भुज मंदिर के पास,
भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.).

(1018-बी.)

नया नाम :

(**नन्दिनी अग्रवाल**)

पति—सुनिल कुमार अग्रवाल,
टाईप-III-28, नारकोटिक्स कॉलोनी,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, आदित्य सिंह भदौरिया पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया यह सूचित करता हूँ कि एल.आई.सी. की पॉलिसी संख्या 200042165 में मेरा नाम मास्टर आदित्य विक्रम सिंह लिखा है। जबकि वर्तमान में मेरा नाम आदित्य सिंह भदौरिया पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया है जो कि मेरे आधारकार्ड एवं बैंक पासबुक, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। अतः मेरे नाम को वर्तमान एवं भविष्य में आदित्य सिंह भदौरिया ही पढ़ा एवं समझा जाए।

पुराना नाम :

(**मास्टर आदित्य विक्रम सिंह**)

(1019-बी.)

नया नाम :

(**आदित्य सिंह भदौरिया**)

पुत्र—श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया,
निवासी-95, रंगीयाना, चार शहर का नाका,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, धनपत प्रसाद केवट, उम्र 26 वर्ष पिता स्व. दाऊराम केवट, निवासी ग्राम बकेली पो. बरबसपुर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश का होकर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक संस्थानों में यही नाम दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, वोटर आई.डी. एवं पैनकार्ड में गलती से धनपत केवट दर्ज है।

अतः यह दोनों नाम मेरे ही हैं, परन्तु अब मैं सभी शैक्षणिक एवं दस्तावेजों में धनपत प्रसाद केवट व धनपत केवट के स्थान पर अमित केवट करने जा रहा हूँ, इसलिये भविष्य में मुझे अमित केवट के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम : नया नाम :
 (धनपत प्रसाद केवट) (अमित केवट)
 (1020-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम पर्व पुत्र श्री सौरभ गर्ग था. जो कि एल.आई.सी. पॉलिसी आदि में भी अंकित था. अब वर्तमान में मैंने उसका नाम परिवर्तन कर पानभ गर्ग पुत्र श्री सौरभ गर्ग, जिसका जन्म दिनांक 31-08-2011 है को सभी दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, स्कूल मार्कशीट आदि में अंकित करा दिया है. अब मेरे पुत्र को आज से पर्व के स्थान पर पानभ गर्ग पुत्र श्री सौरभ गर्ग के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

सौरभ गर्ग,
 पुत्र-श्री अनिल कुमार गर्ग,
 निवासी-73, इन्द्रानगर कॉलोनी, थाटीपुर, मुरार,
 ग्वालियर (म.प्र.) 474011.
 (1021-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम रेनू मंडल (RONU MANDAL) पुत्री स्व. श्री जतिन्द्र मोहन मंडल दर्ज है मेरे विवाह पश्चात् मेरा नाम कोनिका (KONIKA) W/o स्व. सपन चन्द्र पाल (SAPAN CHANDRA PAUL) हो गया है. मेरे पति के देहान्त दिनांक 02-10-2006 के बाद से मैं अपने पिता स्व. श्री जतिन्द्र मोहन मंडल के निवास में ही रहती हूँ. मेरे सारे शासकीय दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, राशनकार्ड में मेरा नाम रानू पाल (RANU PAUL) अंकित है, उक्त तीनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः भविष्य में मुझे रानू पाल (RANU PAUL) पुत्री स्व. श्री जतिन्द्र मोहन मंडल के नाम से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम : नया नाम :
 (रेनू मंडल, कोनिका) (रानू पाल)
 (RONU MANDAL, KONIKA) (RANU PAUL)
 पिता स्व. श्री जतिन्द्र मोहन मंडल.
 (1022-बी.)

W/o स्व. सपन चन्द्र पाल,
 D/o स्व. श्री जतिन्द्र मोहन मंडल,
 निवासी-वार्ड नं. 4, त्रिलोकी नगर,
 छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कल्याण सर्विस स्टेशन, सतना मध्यप्रदेश का पंजीयन क्रमांक 05/26/01/0153/20, दिनांक 07/01/2020 पर पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री राजेन्द्र कुमार, श्रीमती सविता माकिन व श्री सुनीता माकिन भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-04-2012 को श्री सुनीता माकिन फर्म के भागीदार से पृथक् हो गये. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 05-11-18 को श्रीमती सविता माकिन के मृत्यु होने कारण फर्म के भागीदार से पृथक् हो गये और उसी दिनांक को श्री सुनीता माकिन फर्म में भागीदार के रूप सम्मिलित हो गये. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मेसर्स कल्याण सर्विस स्टेशन,
 राजेन्द्र कुमार माकिन,
 (भागीदार).
 (1014-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार “मेसर्स द्वारकाधीश डेवलपर्स” (भागीदारी फर्म) जिसका गठन दिनांक 28-12-2011 को 124 प्रथम तल, सिद्धी विनायक टॉवर, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय पर हुआ था, उक्त फर्म के एक भागीदार श्री जयेश अग्रवाल पिता श्री सत्यनारायणजी अग्रवाल का निधन दिनांक 25-10-2014 को हो गया था, पश्चात् दिनांक 05-01-2016 को संशोधन विलेख के माध्यम से स्वर्गीय श्री जयेश अग्रवाल के स्थान पर उनकी पत्नि श्रीमती स्मिता अग्रवाल को (दिनांक 25-10-2014 से प्रभावशील)

भागीदारी में शामिल किया गया। भागीदारी विलेख के बिन्दु 10 के अनुसार श्रीमती स्मिता अग्रवाल का भागीदारी में प्रवेश की प्रभावशील दिनांक 25-10-2014 मानी जाये। उसी दिनांक 05-01-2016 के भागीदारी संशोधन विलेख से दो नए भागीदार क्रमांक-1 श्री मनोज जैन पिता श्री मांगीलालजी जैन एवं क्रमांक-2 श्री नीरज हरभजनका पिता श्री गोपालदासजी को भी फर्म में शामिल किया गया। दिनांक 27-05-2016 को एक और भागीदारी संशोधन विलेख के माध्यम से भागीदार श्री विवेक यादव पिता श्री जगदीश यादव एवं श्रीमती स्मिता अग्रवाल पति स्व. श्री जयेश अग्रवाल फर्म से हट चुके हैं। दिनांक 27-05-2016 के भागीदारी संशोधन विलेख के पश्चात् वर्तमान में फर्म “मेसर्स द्वारकाधीश डेवलपर्स” में दो भागीदार क्रमांक-1 श्री मनोज जैन पिता श्री मांगीलालजी जैन एवं क्रमांक-2 श्री नीरज हरभजनका पिता श्री गोपालदासजी हैं तथा फर्म का पंजीकृत कार्यालय-104, पार्श्वनाथ टॉवर, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) है। सूचित हो।

(1017-बी.)

राजकुमार प्रजापत,

(एडवोकेट)

कार्यालय-A-1, भरतपुरी काम्पलेक्स,

देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.).

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिल मजिस्ट्रेट, सागर

सागर, दिनांक 02 जनवरी, 2020

क्र.61/व.लि-3/2020.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, प्रीति मैथिल नायक वर्ष 2020 के लिये सागर जिले के अंतर्गत निम्नलिखित तारीखों को पूरे जिले के लिए स्थानीय अवकाश एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/20/83/1/4, दिनांक 24 जून, 1983 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर डॉ. हरिसिंह गौर जयंती का विशेष अवकाश केवल सागर नगर के लिए घोषित करती हूँः—

क्र.	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व/त्यौहार
1.	11 मार्च, 2020	बुधवार	होली का दूसरा दिन (भाई-दोज)
2.	22 अगस्त, 2020	शनिवार	गणेश चतुर्थी
3.	24 अक्टूबर, 2020	शनिवार	दुर्गा महापूजा
4.	26 नवम्बर, 2020	गुरुवार	डॉ. सर हरिसिंह गौर जयंती (केवल सागर नगर के लिए विशेष अवकाश)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय को लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त अवकाश लोक सेवा गांरटी केन्द्रों के लिए भी लागू होंगे।

(144)

प्रीति मैथिल नायक,

कलेक्टर।

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा प्रक्र.1/बी-113(1)/2018-19.

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री बलबीरसिंह पिता हिम्मतसिंह, निवासी ग्राम बिल्लोराबुजुर्ग, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा “श्री महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज न्यास ग्राम बिल्लोराबुजुर्ग (थापना)”, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 10 जनवरी, 2020 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकार्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	:	“श्री महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज न्यास ग्राम बिल्लोराबुजुर्ग (थापना)”, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा।
पता	:	“श्री महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज न्यास ग्राम बिल्लोराबुजुर्ग (थापना)”, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा।

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति	:	1. 1000/- नगद।
अचल संपत्ति	:	निरंक

ममता खेडे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(84)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, ट्रस्ट (शहर) रत्लाम

क्र. /बी-113(1)/2019-20। रत्लाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र.1472/आर-3/19.—आवेदक श्री रामचन्द्र पिता गोविन्दराम धाकड़, निवासी ग्राम खेतलपुर, तहसील रत्लाम के द्वारा खेडापति हनुमान मंदिर न्यास सागोदिया रोड, रत्लाम के ट्रस्टीगणों के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत खेडापति हनुमान मंदिर न्यास सागोदिया रोड, रत्लाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 28 जनवरी, 2020 को की जावेगी।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 28 जनवरी, 2020 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यासी का पूरा नाम	:	“खेडापति हनुमान मंदिर न्यास सागोदिया रोड, रत्लाम मध्यप्रदेश”।
पता	:	उक्त मंदिर पर ही रहेगा।
अचल सम्पत्ति	:	मंदिर भूमि सर्वे क्रमांक 45 व 46 रकबा 0.010, 0.150 हेक्टर, जिसकी कीमत रुपये 5,00,000/-
चल सम्पत्ति	:	रुपये 75,000/-

लक्ष्मी गामड़,

रजिस्ट्रार।

(85)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल।

क्र.859/अ.वि.अ./वृत्तगो./19.—जैसाकि आवेदक संस्था नोबल केयर फाउण्डेशन, कार्यालय म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 16 जनवरी, 2020 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	नोबल केयर फाउण्डेशन, म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल मध्यप्रदेश।
न्यास कार्यालय का पता	:	म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक।

मनोज कुमार वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी।

(145)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल, सामान्य बनमण्डल, बैतूल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वनपरिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) द्वारा पत्र क्र.1919, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से अवगत कराया गया है कि वनकक्ष क्रमांक-P-1067, कूप क्रमांक-XIV, IV भैसाघाट में वर्ष 2015-16 में सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र तैयारी हेतु फेलिंग हैमर श्री रामदयाल पाटनकर, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक, झल्लार, परिक्षेत्र ताप्ती (सा.) को प्रदाय किया गया था, जो उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण गुमा दिया गया एवं गुम हैमर के स्थान पर नकली हैमर जमा किया। हैमर गुम होने की सूचना वनपाल द्वारा पुलिस थाना झल्लार में दिनांक 13 जनवरी, 2018 को दी गयी एवं परिक्षेत्र कार्यालय आठनेर (सा.) में दिनांक 17 जनवरी, 2018 को सूचना दी गई। परिक्षेत्र अधिकारी आठनेर (सा.) के पत्र क्रमांक 55, दिनांक 18 जनवरी, 2018 से उक्त हैमर गुम होने के संबंध में अवगत कराया गया। गुम हैमर को पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्र./मा.चि./01, दिनांक 12 फरवरी, 2018 से शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया गया एवं उक्तानुसार कदाचरण के लिये संस्थित विभागीय जॉच उपरांत अनुशासनात्मक एवं हैमर की राशि वसूली की कार्यवाही की जाना आदेशित किया। विभागीय जॉच प्रकरण में कार्यालयीन आदेश क्र./स्था./378, दिनांक 30 नवम्बर, 2019 से की गई कार्यवाही एवं पारित आदेशानुसार श्री रामदयाल पाटनकर द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुये हैमर गुम होने की समय पर प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) न करने की गंभीर अनियमितता के कारण आगामी एक वेतनवृद्धि संचायी प्रभाव से रोधित की गई।

निष्कर्ष :-

प्रकरण का समग्ररूपेण अध्ययन करने पर श्री रामदयाल पाटनकर, वनपाल परिक्षेत्र सहायक, सालबर्डी परिक्षेत्र आठनेर (सा.) तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक झल्लार, परिक्षेत्र ताप्ती (सा.) द्वारा हैमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रखरखाव में घोर लापरवाही बरतना गंभीर अनियमितता है। अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है कि:-


आदेश

बैतूल, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

क्रमांक/मा.चि/02.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्र./स्था./378, दिनांक 30 नवम्बर, 2019 के पु.क्र/स्था./6194, दिनांक 30 नवम्बर, 2019 से हैमर अपलेखन एवं हैमर राशि वसूली की कार्यवाही के तारतम्य में वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित गुमशुदा मार्किंग हैमर को शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा श्री रामदयाल पाटनकर, वनपाल परिक्षेत्र सहायक सालबर्डी परिक्षेत्र आठनेर (सा.) तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक झल्लार परिक्षेत्र ताप्ती (सा.) से गुमशुदा हैमर का अनुमानित मूल्य रुपये 510/- (पाँच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी किये जाते हैं।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम पुलिस थाने या बन विभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय बन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

फेलिंग हैमर का चिन्ह :-



(83)

मर्यंक चांदीबाल,
बनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

केशर अपार्टमेन्ट रहवासी सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

क्र./परि./2019/2257.—केशर अपार्टमेन्ट रहवासी सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./748, दिनांक 23 मई, 2019 है। निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नक्रियाँ अनियमिताएँ संज्ञान में आईं—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक अकार्यशील है।
2. संस्था के कुल 21 सदस्यों में से 12 सदस्यगण द्वारा समिति के विघटन हेतु दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को आवेदन किया है।
3. संस्था के बर्हिगामी संचालक मण्डल एवं सामान्य सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा संस्था संचालन में कोई रूचि प्रदर्शित नहीं की जा रही है।
4. संस्था के सदस्यगण संस्था के निर्वाचन में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस कारण संस्था का प्रथम निर्वाचन भी सम्पन्न नहीं हुआ है।
5. संस्था द्वारा समिति अधिनियम, नियम, उपविधि एवं पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 29 जनवरी, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा। कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अशोक कुमार शुक्ल,
उप-पंजीयक।

(86)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समितियां, जिला सीहोर

दिनांक, 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/2014/1.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2019/43, दिनांक 14 जनवरी, 2019

द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुध स. स. नौगाँव (आष्टा)	1323/23-12-2005	43/14-01-2019
2.	दुध स. स. मर्या., भीलखेड़ी बरामद (अ.)	1526/13-12-2010	43/14-01-2019
3.	दुध उ. स. स. मर्या., पीपलिया रूलारजी	814/28-01-1984	43/14-01-2019
4.	दुध उ. संस्था मर्या., बैदाखेड़ी	697/08-04-1976	43/14-01-2019
5.	दुध उ. स. संस्था, आनन्दीपुरा	948/25-10-1989	43/14-01-2019
6.	दुध उ. स. संस्था, टिगरिया	965/09-11-1989	43/14-01-2019
7.	दुध उ. संस्था, खामखेड़ा बैजनाथ	833/22-04-1984	52/17-01-2019
8.	दुध उ. संस्था, गोपालपुर	1041/20-07-1994	52/17-01-2019
9.	दुध उ. संस्था, बापचाबरामद	558/19-09-1984	52/17-01-2019
10.	दुध उ. संस्था, बडघाटी	1498/18-08-2010	52/17-01-2019

अतः मैं, एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावें या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्या/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(87)

एस. के. पाठक,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2419.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परिसमापन अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति मर्यादित, ईटारसी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3287, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमति विनीता चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति मर्यादित, ईटारसी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3287, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(91)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2420.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन महावीर महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3300, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. बी. रघुवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेश्क, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रर को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रर सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन महावीर महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3300, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(92)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2421.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन 337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन श्रीनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनखेडी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3351, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. बी. रघुवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेश्क, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रर को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रर सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन श्रीनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनखेडी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3351, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(93)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2422.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1037, दिनांक 12 जुलाई, 2001 द्वारा परिसमापन स्प्रिंकलर सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, गुरमखेडी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2250, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, परिसमापक एवं उप अंकेश्क, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी

का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन स्प्रिंकलर सिचाई सहकारी समिति मर्यादित, गुरमखेड़ी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2250 दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(94)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2423.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/177, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, बघवाडा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2886, दिनांक 26 अप्रैल, 2006 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, बघवाडा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2886 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(95)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2424.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बाबई, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2864, दिनांक 27 जुलाई, 2005 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बाबई, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2864, दिनांक 27 जुलाई, 2005 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(96)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2425.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तबा विस्तापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ओझापुरा पंजीयन क्रमांक 2533, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रर को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रर सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन तबा विस्तापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ओझापुरा पंजीयन क्रमांक 2533, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(97)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2426.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तबा विस्तापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खामदा पंजीयन क्रमांक 2508, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रर को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रर सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन तबा विस्तापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खामदा पंजीयन क्रमांक 2508, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(98)

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रर.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2214.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू, दिनांक 11 नवम्बर, 2019 द्वारा दुर्गम उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आलोट जागीर जिसका पंजीयन क्रमांक 1924, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मैहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99)

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2215.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा म. दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हंसखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 2239, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(100)

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2216.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा अन्पूर्ण बोज उत्पा. सह. संस्था बडागाँव जिसका पंजीयन क्रमांक 2215, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(101)

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2217.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2019 द्वारा दुर्घ उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., रामाबालोदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1925, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-पंजीयक।

(102)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2019/2032, उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया हैः-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	नालंदा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा।	1187/30-04-1994	269/18-02-2019
2.	दिल्ली महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा।	1639/19-02-2004	269/18-02-2019
3.	महाराष्ट्र साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1450/01-04-1994	269/18-02-2019

अतः मैं, एस. एन. मेहता, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा करकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एस. एन. मेहता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(103)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन,

जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2019/2032, उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कस्तुरी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	147/22-02-2011	269/18-02-2019
2.	चिन्तामण गणेश फल, साग-सब्जी उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1507/20-05-1999	269/18-02-2019

अतः मैं, एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. पी. बहोरे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(104)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/09, धार, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा भारूड़ साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बबलू चौहान, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री बबलू चौहान, स.नि. द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत भारूड़ साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भारती शेखावत,

उप-रजिस्ट्रार।

(67)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनखेडी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 28 सितम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(105)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिटठनपुर, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 553, दिनांक 26 मार्च, 1992 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(106)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाटक्या, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 13 नवम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(107)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिलाखेड़ी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 19 अक्टूबर, 1984 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(108)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/2625.— इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ा, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 541, दिनांक 13 नवम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(109)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हरिपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 29 जुलाई, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(110)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2012, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दोबडा, तहसील खिलचौपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 783, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(111)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रूपारेल, तहसील खिलचौपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 30 जून, 2003 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(112)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडपुर, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 554, दिनांक 26 मार्च, 1992 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(113)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामलबे, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 04 अक्टूबर, 1988 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(114)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोतीपुरा, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(115)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेडा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 529, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(116)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काचरी, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(117)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फुलखेडी, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 531, दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(118)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2668, राजगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलैन, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 392, दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(119)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 20 सितम्बर, 1998 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(120)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 825, दिनांक 07 सितम्बर, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(121)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडबेली, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 809, दिनांक 26 जून, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(122)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. बाडगांव, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(123)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पडाना, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 19 फरवरी, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(124)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मवासा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 19 फरवरी, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(125)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रोज्या, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 755, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(126)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मलावर, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 26 जून, 2004 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(127)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2693, राजगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामन्या, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 06 मई, 2003 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(128)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गेहुखेडी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 25 जून, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(129)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2011, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., फुन्दिया, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 731, दिनांक 19 फरवरी, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(130)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/2573.— इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीपीठ, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 443, दिनांक 26 अक्टूबर, 1988 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(131)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/2574.— इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनवास, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 09 नवम्बर, 1989 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(132)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/2575.— इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़लावनिया, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 31 अगस्त, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(133)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोड़िया जरगर, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 01 सितम्बर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(134)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रसूलपुरा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़. जिसका पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 28 सितम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(135)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सुवासड़ा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़. जिसका पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 04 अक्टूबर, 1988 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(136)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खुजनेर, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़. जिसका पंजीयन क्रमांक 423, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(137)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सुस्तानी, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 424, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(138)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. करेडी, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(139)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लिम्बोदा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(140)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीलखेड़ा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 413, दिनांक 01 सितम्बर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(141)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाढ़ूखेड़ा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 418, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(142)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2013, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखेड़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 419, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. एस. गौर,

उप-पंजीयक।

(143)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2020-माघ 4, शके 1941

भाग 3 (2)

साँख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अधिकारी एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सापाहिक प्रतिवेदन, सनाहान्त बुधवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2019

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. सलन साँख्यकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

3. जोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

6. कट्टी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

7. अन्य असामयक घटना से क्षति :- कोई प्रभाव नहीं.

8. फसल स्थिति :- जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति लिंगड़ी हुई तथा ऐसे जिलों में सतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपवाहन मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने साँख्यकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सनोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित रुपर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बधवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2019

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
17.	अनूपपुर :	जैतपुर	जुताई चालू	धान	समान	..	सुधरी हर्ई	20%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
		अनूपपुर	बोनी चालू	तुअर	अधिक	10%	सुधरी हर्ई	10%	
		कोतमा	ज्वार	अधिक	5%	सुधरी हर्ई	15%	
		पुष्पराजगढ़	
18.	उमरिया :	बांधवगढ़	जुताई चालू	धान	अधिक	20%	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		पाली	बोनी चालू	तुअर	कम	20%	सामान्य	
		चंदिया	
		नौरोजाबाद	
19.	सीधी :	मानपुर	अलसी	समान	समान	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	बोनी चालू	चना	कम	30%	समान	
		सिंहावल	राइसरसों	कम	70%	सामान्य	
		मझौली	
		कुसमी	
		चुरहट	
		बहरी	
20.	सिंगराली:	रामपुरनैकिन
		चितरंगी	जुताई चालू	तुअर	कम	2%	सुधरी हुर्ई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		देवसर	बोनी चालू	ज्वार	समान	समान	
		सरई	चना	मसूर	कम	60%	समान	
		माडा	अलसी	कम	2%	समान	
		सिंगराली	राइसरसों	कम	30%	समान	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
28.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा 20.0	पर्याप्त जुताई चालू . . बोनी चालू	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.
29.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कटटीवाडा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर	1.4 . . 41.0 3.4 . . 43.2	5. . . 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7.
30.	धार :	भामरा बदनावर सरदारपुर धार कुक्सी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर 19.0 . . 68.0 . . 10.0 13.0 2.6 . .	पर्याप्त जुताई चालू बोनी चालू	कपास अधिक 5% बिगड़ी	5. . . 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7.
31.	इन्दौर :	देपालपुर सांवर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे.)	. . 9.0 . . 2.5 9.2 . .	पर्याप्त	5. . . 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8				9			10	
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या	जुताई चालू	कपास तुअर	अधिक कम	समान समान	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली	जुताई चालू बोनी चालू	कपास ज्वार	अधिक कम	20% 25%	समान समान	5.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	अधिक अधिक	2% 20%	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.	
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर	अधिक 6.0 .. 7.7 .. 21.0 ..	जुताई चालू बोनी चालू	कपास तुअर	अधिक कम	15% 5%	सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 10%	5.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हर्डिया टिमरनी	जुताई चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
44.	जबलपुर :	जबलपुर कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा पनागर अधारताल	जुताई चालू बोनी चालू	धान तुअर	अधिक कम 40%	15% सुधरी हुई सुधरी हुई 5%	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढाँमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराधवगढ़ बरही	जुताई चालू बोनी चालू	धान चना	तुअर मसूर	समान समान समान समान समान समान समान	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा	जुताई चालू बोनी चालू	गन्ना धान	कम अधिक 5% 5%	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51.	बालाघाट :		धान	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		
	लाँजी		
	किरनापुर		
	बैहर		
	वारासिवनी		
	कटंगी		
	लालबरा		
	तिरोडी		
	परसवाड़ा		
	बिरसा		
	खैरलाँजी		

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

(82)